

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं० सी- 74 / त०प्र०/2017-18

दिनांक: 21/12/17

समस्त शाखा प्रबन्धक,

“अति आवश्यक”

उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

उत्तर प्रदेश।

विषय:- वर्ष 2017-18 दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय पशुधन मिशन ईडीईजी- 30 सितम्बर, 2017 के पश्चात् दि०-31 दिसम्बर, 2017 तक योजना को जारी रखने के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या-सी-45/त०प्र०/17-18 दिनांक 05.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो नाबार्ड के सन्दर्भ संख्या-राबै (डीओआर)/जीएसएस /2668/एन.एल.एम./17-18, दिनांक 22.11.2017 के क्रम में है, के अनुसार वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.17 से दिनांक 31.12.2017 तक राष्ट्रीय पशुधन मिशन ईडीईजी योजना जारी रहेगी।

उक्त योजनान्तर्गत प्रेषित प्रस्तावों में लाभार्थियों का आधार-कार्ड का नम्बर भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों के खाता एन०पी०ए० नहीं होना चाहिये। योजना का लॉकिंग पीरियड तीन वर्ष होने के कारण खाता तीन वर्ष तक कम से कम चलना चाहिये। उक्त अवधि के दौरान लाभार्थियों द्वारा प्राप्त कराये गये प्रार्थना-पत्रों पर वितरित ऋण के प्रथम किश्त जारी किये जाने के पश्चात् प्रधान कार्यालय को पिलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। यदि प्रस्ताव में कोई त्रुटि होती है और लाभार्थी को अनुदान प्राप्त नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार स्वयं शाखा प्रबन्धक होंगे।

अतः उपरोक्त योजनान्तर्गत नियमानुसार ऋण वितरित करते हुए शाखा-प्रबन्धक अपने स्तर से अनुदान हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव को भली-भाँति जाँच कर बैंक के ई-मेल आई०डी० में भेजने के पश्चात् एक प्रति हार्ड-कापी तकनीकी-अनुभाग को नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक अनुमोदन के अनुबन्ध में दिये गये योजना के मार्ग-निर्देशों के अन्य पक्षों का पालन पूर्व की भाँति किया जाये।

(के०पी०सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्नोक्त को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएँ प्रेषित-

- (1). समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु।
- (2). समस्त जनपदीय प्रबन्धक श्रेणी-2, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर-प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (3). उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान-कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)

महाप्रबन्धक(तकनीकी)